मध्यप्रदेश अधिनियम
(कमांक 16 सन् 1967)

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967

दिनांक 14 जुलाई 1967 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में दिनांक 17 जुलाई 1967 को प्रथम बार प्रकाशित की गई ।

(मध्यप्रदेश अधिनियम कमांक 9 सन् 1971, 8 सन् 1973, 42 सन् 1982, 3 सन् 1997, 22 सन् 1999, 1 सन् 2007, 5 सन् 2014 एवं 17 सन् 2017)

कतिपय लाभ के पदों को, उनके धारकों को राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या होने के लिये निरर्हित न बनाने वाले घोषित करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय ।

1. यह अधिनियम, मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता, निवारण अधिनियम, 1967 कहा जा सकेगा । संक्षिप्त नाम

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो – परिभाषाएं

(क) "समिति" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी समिति, परिषद, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय चाहे वह कानूनी निकाय हो यां न हो,

(ख) "कानूनी निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके, अधीन स्थापित किया गया, रजिस्ट्रीकृत किया गया या बनाया गया या किसी भी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला तथा कृत्य करने वाला कोई भी निगम, बोर्ड कम्पनी, सोसायटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो,

[1][(ग) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से अभिप्रेत है किसी समिति या कानूनी निकाय के अध्यक्ष (चेयरमेन) या सदस्य को उस पद के कृत्यों का पालन करने में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने में उस समिति या कानूनी निकाय के अध्यक्ष या सदस्य को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिये यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते की ऐसी रकम जो उस रकम से अधिक न हो, जिसे कि मध्यप्रदेश की विधान सभा या मध्यप्रदेश की विधान परिषद् का कोई सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) के अधीन प्राप्त करने का हकदार है, और वाहन भत्ते, मकान भाड़ा भत्ते या संचार भत्ते के तौर पर देय कोई धनराशि.]

[2][3. (1) एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाभ का कोई भी पद उसके धारक को, यथास्थिति, मध्यप्रदेश की विधान सभा या मध्यप्रदेश की विधान परिषद् के सदस्य के रुप में चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिये निरर्हित नहीं करेगा या वह कभी भी निरर्हित हुआ नहीं समझा जाएगा.

कतिपय निरर्हताओं का दूर किया जाना.

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो किसी कानूनी निकाय या समिति के अध्यक्ष (चेयरमेन) या सदस्य का पद धारण करता है, किसी भी समय मध्यप्रदेश की विधान सभा या मध्यप्रदेश की विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिये केवल इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह ऐसा पद धारण करता है या ऐसे पद के लिये कोई प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करता है.

स्पष्टीकरण. – इस उपधारा के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्ति "सभापति" (चेयरमेन) में "अध्यक्ष" (प्रेसिडेंट) सम्मिलित है.]

4. मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिसक्वालीफिकेशन एक्ट, 1956 (कमांक 1 सन् 1957) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

निरसन

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 1 सन् 2007 द्वारा अंतःस्थापित.
2. म.प्र. अधिनियम क. 1 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित.

अनुसूची
सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची
(धारा 3 (1) देखिये)

1. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

2. राज्य विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति ।

3. राज्य मंत्री ।

4. उप–मंत्री ।

5. संसदीय सचिव ।

6. महाधिवक्ता ।

7. सरकारी प्लीडर ।

8. '[दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] में यथापरिभाषित लोक अभियोजन ।

9. मध्यप्रदेश लैण्ड रैवेन्यू कोड, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) के अधीन पटेल के रुप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, या बस्तर जिले में मांझी या चाकी के रुप नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, कोई भी व्यक्ति ।

10. प्राविन्शियल इन्साल्वेंसी एक्ट, 1920 (कमांक 5 सन् 1920) के अधीन नियुक्त किया गया राजकीय रिसीवर ।

11. मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट 1931 (कमांक 3 सन् 1931) की धारा 62 के अधीन बनाये गये नियमों में यथापरिभाषित सिंचाई पंचायत का सरपंच ।

12. नेशनल केडिट कोर या प्रादेशिक सेना में का कोई भी पद ।

13. रिजर्व्ड एण्ड ऑक्जीलरी एयर फोर्सेस एक्ट, 1952 (कमांक 62 सन् 1952) के अधीन स्थापित की गई ऑक्जिलरी एयर फोर्स या एयर डिफेंस रिजर्व में का कोई भी पद ।

14. भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा दिनांक 26 अक्टूबर सन् 1962 के प्रवत्त रहने की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात् छःमास के दौरान संघ की नौ–सेना, स्थल सेना, वायु सेना या किन्ही अन्य सशस्त्र दलों का सदस्य ।

15. ऐसे बीमाकर्त्ता के अधीन, जिसके कि नियंत्रित कारबार का प्रबंध लाइफ इन्श्योरेंश (इमरजेन्सी प्रावीज़न्स) एक्ट, 1956 (कमांक 9 सन् 1956) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो, कोई भी पद ।

व्याख्या :— मद 15 के प्रयोजन के लिए "बीमाकर्ता" तथा "नियंत्रित कारबार" के वही अर्थ होंगे जो कि लाइफ इन्श्योरेंस (इमरजेंसी प्रावीजन्स) एक्ट 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किये गये है ।

[2][16. मध्यप्रदेश विधान सभा में विरोधी दल के नेता का पद.—

स्पष्टीकरण :— मद 16 के प्रयोजन के लिये विरोधी दल के नेता का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश विधान मंडल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में दिया गया है।]

[3][17. किसी कानूनी निकाय का सभापति तथा उप—सभापति या अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष या प्रबंध संचालक या संचालक या किसी समिति का कोई सदस्य, भले ही पूर्वोक्त पदों में से कोई पद किसी भी नाम से ज्ञात हो ।

स्पष्टीकरण:— मद 17 के प्रयोजन के लिये, उस पद के, जो इसमें वर्णित है, अनतर्गत आयेगा किसी कानूनी निकाय में उस पद के साथ संयुक्ततः धारित कोई अन्य पद या किसी पद के साथ संयुक्ततः धारित मद 17 में वर्णित पद।]

[4][18. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का सचिव।]

[5][19. मध्यप्रदेश राज्य योजना मण्डल का उपाध्यक्ष।]

[6][20. अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, मध्यप्रदेश ;]

21. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, मध्यप्रदेश ;

22. अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्यप्रदेश।]

[7][23. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा पदेन हैसियत में धारित कोई पद;

24. पंच—ज कार्यक्रम क्रियान्वयन और मानीटरिंग समिति का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन और सदस्य;

25. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन गठित स्थायी समिति का चेयरमेन और सदस्य;

26. मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम का चेयरमेन और वाइस चेयरमेन;

27. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी का चेयरमेन;

28. मध्यप्रदेश क्रीड़ा परिषद् का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन और सदस्य;

29. मध्यप्रदेश शासन के "अभियान" और "युवा संधि" संस्थानों के साधारण निकाय (जनरल वॉडी) का चेयरमेन;

30. मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन और सदस्य;

31. मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का चेयरमेन तथा वाइस चेयरमेन;

32. मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड का चेयरमेन;

33. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का चेयरमेन;

34. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का चेयरमेन तथा वाइस चेयरमेन;

35. मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण का चेयरमेन;

36. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

37. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का चेयरमेन तथा सदस्य;

38. मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय प्रतिष्ठा समिति का चेयरमेन;

39. मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

40. मध्यप्रदेश परियोजना सलाहकार मंडल का चेयरमेन;

41. मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

42. मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जवलपुर का चेयरमेन;

43. मध्यप्रदेश इको–टूरिज्म विकास बोर्ड का चेयरमेन;

44. शासकीय महाविद्यालयों की स्थानीय प्रबंधन समिति का चेयरमेन;

45. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का चेयरमेन;

46. मध्यप्रदेश राज्य नगरीय विकास अभिकरण का चेयरमेन;

47. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का सदस्य, जो राज्य विधान मंडल के सदस्य के लिए चिन्हित है;

48. मध्यप्रदेश फिशरीज फेडरेशन को–ऑपरेटिव लिमिटेड का चेयरमेन;

49. मध्यप्रदेश गौ–पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

50. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक का चेयरमेन;

51. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमेन;

52. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन फ़ेडरेशन का चेयरमेन;

53. मध्यप्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव सीड प्रोड्यूसर एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन का चेयरमेन तथा वाइस चेयरमेन;

54. मध्यप्रदेश कुक्कुट सहकारी फेडरेशन का चेयरमेन;

55. मध्यप्रदेश स्टेट सेरीकल्चर, डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का चेयरमेन;

56. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का सदस्य;

57. मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड का चेयरमेन तथा सदस्य;

58. मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड की सलाहकार समिति का चेयरमेन तथा सदस्य;

59. राजीव गांधी शिक्षा मिशन का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तथा सदस्य;

60. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमेन तथा सदस्य;

61. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का सदस्य;

62. मध्यप्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम का चेयरमेन;

63. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का चेयरमेन;

64. मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का चेयरमेन;

65. मध्यप्रदेश सोसाइटी फार रूरल लाइवलीहूड प्रमोशन्स के साधारण निकाय का चेयरमेन;

66. महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान का चेयरमेन;

67. संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास परिषद् संस्थान, पचमढ़ी के साधारण निकाय का चेयरमेन;

68. मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का प्रेसिडेंट तथा वाइस प्रेसिडेंट;

69. जन अभियान परिषद् का चेयरमेन और वाइस चेयरमेन;

70. पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के साधारण निकाय तथा शासी निकाय का चेयरमेन तथा सदस्य;

71. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का चेयरमेन या संचालक (डायरेक्टर);

72. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड का चेयरमेन या संचालक (डायरेक्टर);

73. मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड का चेयरमेन या संचालक (डायरेक्टर);

74. मध्यप्रदेश बोर्ड फार एम्प्लाइमेंट जनरेशन का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

75. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

76. मध्यप्रदेश एजेन्सी फार प्रमोशन आफ इनफार्मेशन टैक्नालाजी का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

77. प्रोविडेन्ट इनवेस्टमेंट कम्पनी का चेयरमेन;

78. मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

79. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

80. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का चेयरमेन या डायरेक्टर;

81. मध्यप्रदेश राज्य योजना मंडल का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

82. जिला योजना समिति का चेयरमेन तथा सदस्य;

83. मध्यप्रदेश बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समिति का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

84. जोनल रेल उपभोक्ता समिति और संभागीय रेल उपभोक्ता समन्वय समिति का सदस्य जिसे मध्यप्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य के लिए चिन्हित किया गया हो;

85. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन या डायरेक्टर;

86. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

87. मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसीलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड का चेयरमेन या डायरेक्टर;

88. मध्यप्रदेश व्यापार मेला (ट्रेडफेयर) प्राधिकरण का चेयरमेन या डायरेक्टर;

89. मध्यप्रदेश बोर्ड आफ एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का चेयरमेन तथा डायरेक्टर;

90. मध्यप्रदेश लैदर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का चेयरमेन या डायरेक्टर;

91. मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा डायरेक्टर;

92. दीनदयाल अंत्योदय समिति का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा सदस्य;

93. मध्यप्रदेश शासन हिन्दी विधायी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य;

94. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन का अध्यक्ष;

95. नगर निगम का महापौर;

96. मध्यप्रदेश [8][वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन] का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

97. मध्यप्रदेश राज्य निर्यात निगम का अध्यक्ष;

98. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम का अध्यक्ष] [9][और उपाध्यक्ष];

[10][99. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

100. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

101. मध्यप्रदेश मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

102. मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

103. भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;]

[11][104. मध्यप्रदेश राज्य कृषक आयोग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

105. मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

106. बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

107. विंध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

108. महाकौशल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

109. राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

110. मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन सलाहकार मण्डल का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

111. मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

112. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष.]

विधिमान्यकरण और अन्य मामलों के बारे में विशेष उपबंध

[12][5. (1) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश या मत के होते हुए भी, मूल अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित पद उसके धारकों को मध्यप्रदेश की विधान सभा या मध्यप्रदेश की विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिये निरर्हित नहीं करेगा या वह कभी भी निरर्हित हुआ नहीं समझा जाएगा, मानो कि मूल अधिनियम इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में प्रवृत्त कर दिया गया था।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने यथा–पूर्वोक्त किसी आदेश या निर्णय के कारण अपना स्थान रिक्त किया हो, इस निमित्त पुनः स्थापन का कोई दावा करने या कोई अन्य दावा करने का हकदार बनाती है।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिये, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी याचिका या निर्देश का निपटारा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।"]

---

1 म.प्र. अधिनियम क्र. 1 सन् 2007 द्वारा संशोधित.
2 म.प्र. अधिनियम क. 9 सन् 1980 द्वारा स्थापित.
3 म.प्र. अधिनियम क. 42 सन् 1982 द्वारा स्थापित.
4 म.प्र. अधिनियम क. 1 सन् 1974 द्वारा जोड़ा गया.

5 म.प्र. अधिनियम क. 3 सन् 1997 द्वारा जोड़ा गया.
6 म.प्र. अधिनियम क. 22 सन् 1999 द्वारा जोड़ा गया.
7 म.प्र. अधिनियम क. 1 सन् 2007 द्वारा जोड़ा गया.
8 म.प्र. अधिनियम क्र. 17 सन् 2017 द्वारा स्थापित.
9 म.प्र. अधिनियम क. 5 सन् 2014 द्वारा अंतःस्थापित.
10 म.प्र. अधिनियम क. 5 सन् 2014 द्वारा जोड़ा गया.
11 म.प्र. अधिनियम क. 17 सन् 2017 द्वारा जोड़ा गया.
12 म.प्र. अधिनियम क. 1 सन् 2007 द्वारा जोड़ा गया.

...